

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव सह-सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग/नगर विकास एवं
आवास विभाग/शिक्षा विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/गृह विभाग/
कृषि विभाग/जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/
समाज कल्याण विभाग / परिवहन विभाग एवं भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

महाधिवक्ता, बिहार
उच्च न्यायालय, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की दिनांक-20.02.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहुत बैठक के स्थगन के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य सचिव कोषांग गै०स०प्रे० सं०-162/गो०मु०स० दिनांक-08.02.2018।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के नियम 2.4(ए) के तहत गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की दिनांक-20.02.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मुख्य सचिव, बिहार के कार्यालय कक्ष में आयोजित होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है।

आगामी बैठक की सूचना तिथि निर्धारण के उपरांत दी जाएगी।

विश्वासभाजन

ह०/-सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा

सरकार के सचिव-सह-सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....1050...../जे०, पटना, दिनांक -.....13-02-18.....


प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्यपदाधिकारी/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा

सरकार के सचिव-सह-सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....1050...../जे०, पटना, दिनांक -.....13-02-18.....

प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव-सह-सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति,
बिहार, पटना।

11/2/18